

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: ०१ अप्रैल, 2020

विषय:- नोवल कोरोना वायरस के संबंध में अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट क्रय करने के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस संबंधी अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु० 44,50,00,000/- (रुपये चौवालिस करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अग्रिम रूप से जनपद के जिलाधिकारीगणों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| जनपद का नाम    | स्वीकृत धनराशि<br>(लाख रुपये में) |
|----------------|-----------------------------------|
| 1 सहारनपुर     | 100.00                            |
| 2 मुजफ्फरनगर   | 50.00                             |
| 3 शामली        | 50.00                             |
| 4 मेरठ         | 100.00                            |
| 5 हापुड़       | 50.00                             |
| 6 गाजियाबाद    | 100.00                            |
| 7 बुलन्दशहर    | 50.00                             |
| 8 गौतमबुद्धनगर | 100.00                            |
| 9 बागपत        | 50.00                             |
| 10 आगरा        | 100.00                            |
| 11 मथुरा       | 50.00                             |
| 12 फिरोजाबाद   | 50.00                             |
| 13 मैनपुरी     | 50.00                             |
| 14 अलीगढ़      | 100.00                            |

|    |              |        |
|----|--------------|--------|
| 15 | एटा          | 50.00  |
| 16 | कासगंज       | 50.00  |
| 17 | हाथरस        | 50.00  |
| 18 | बरेली        | 100.00 |
| 19 | बदायूँ       | 50.00  |
| 20 | शाहजहाँपुर   | 50.00  |
| 21 | पीलीभीत      | 50.00  |
| 22 | मुरादाबाद    | 100.00 |
| 23 | रामपुर       | 50.00  |
| 24 | बिजनौर       | 50.00  |
| 25 | अमरोहा       | 50.00  |
| 26 | सम्भल        | 50.00  |
| 27 | कानपुर नगर   | 100.00 |
| 28 | कानपुर देहात | 50.00  |
| 29 | इटवा         | 50.00  |
| 30 | फर्रुखाबाद   | 50.00  |
| 31 | कन्नौज       | 50.00  |
| 32 | औरैया        | 50.00  |
| 33 | प्रयागराज    | 100.00 |
| 34 | फतेहपुर      | 50.00  |
| 35 | प्रतापगढ़    | 50.00  |
| 36 | कौशाम्बी     | 50.00  |
| 37 | झांसी        | 100.00 |
| 38 | ललितपुर      | 50.00  |
| 39 | जालौन        | 50.00  |
| 40 | हमीरपुर      | 50.00  |

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 41 | महोबा          | 50.00  |
| 42 | बांदा          | 50.00  |
| 43 | चित्रकूट       | 50.00  |
| 44 | वाराणसी        | 100.00 |
| 45 | जौनपुर         | 50.00  |
| 46 | गाजीपुर        | 50.00  |
| 47 | चन्दौली        | 50.00  |
| 48 | मीरजापुर       | 50.00  |
| 49 | सोनभद्र        | 50.00  |
| 50 | संत रविदास नगर | 50.00  |
| 51 | आजमगढ़         | 50.00  |
| 52 | मऊ             | 50.00  |
| 53 | बलिया          | 50.00  |
| 54 | गोरखपुर        | 100.00 |
| 55 | महराजगंज       | 50.00  |
| 56 | देवरिया        | 50.00  |
| 57 | कुशीनगर        | 50.00  |
| 58 | बस्ती          | 50.00  |
| 59 | सिद्धार्थनगर   | 50.00  |
| 60 | संत कबीरनगर    | 50.00  |
| 61 | लखनऊ           | 100.00 |
| 62 | उन्नाव         | 50.00  |
| 63 | रायबरेली       | 50.00  |
| 64 | सीतापुर        | 50.00  |
| 65 | हरदोई          | 50.00  |
| 66 | खीरी           | 50.00  |

|                                      |              |          |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| 67                                   | गोण्डा       | 50.00    |
| 68                                   | बहराइच       | 50.00    |
| 69                                   | बलरामपुर     | 50.00    |
| 70                                   | श्रावस्ती    | 50.00    |
| 71                                   | अयोध्या      | 50.00    |
| 72                                   | सुलतानपुर    | 50.00    |
| 73                                   | बाराबंकी     | 50.00    |
| 74                                   | अम्बेडकर नगर | 50.00    |
| 75                                   | अमेठी        | 50.00    |
| कुल योग                              |              | 4,450.00 |
| (रूपये चौवालिस करोड़ पचास लाख मात्र) |              |          |

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उपरोक्त धनराशि से मात्र वही उपकरण/ मेडिकल संबंधी कन्ज्यूमेबल्स क्रय किये जायें, जो आवश्यक हों तथा जिनकी आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग से या तो न हो पा रही हो या पर्याप्त मात्रा में न हो पा रही हो। उपकरणों/ मेडिकल संबंधी कन्ज्यूमेबल्स का क्रय वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही किया जाना सुनिश्चित करें। इस धनराशि का उपयोग प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।**
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

  
(रेणुका कुमार)

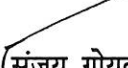
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-167(1) / एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तदुदिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(संजय गोयल)  
सचिव।